

दि.वि.प्रा. आवासीय योजना ²⁰¹⁹ ~~2017~~



^{Housing Scheme 2019}
DDA ~~AAWASHIYA YOJANA 2017~~

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
आवास शाखा
(HOUSING) BRANCH

0संख्या

No.....

दिनांक.

Dated.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....

सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....को दि.वि.प्रा. आवासीय योजना

2019

~~2017~~ के अंतर्गत.....आवासीय योजना के सैक्टर.....

पॉकेट.....ब्लॉक.....ग्रुप.....में फ्लैट संख्या.....(.....तल) आवंटित किया गया है।

Certified that a.....flat bearing No.....(.....Floor)

Sector.....Pkt.....Block.....Group.....At.....Residential

Scheme under DDA ~~AAWASHIYA YOJANA 2017~~ has been allotted to Sh./Smt.....

S/o W/o D/o Sh.....
^{Housing Scheme 2019}

वे अपने नाम से बिजली एवं पानी के कनेक्शन लेने के हकदार हैं।

He/She is entitled to obtain Electric & Water connection in his/her own name.

सहायक निदेशक/Asstt. Director

(आवास)/दि.वि.प्रा./ (H)/DDA

श्री/श्रीमती/Sh./Smt.....

.....

.....



दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास विभाग)

सं. एफ

()

दिनांक

पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो चिपकाएं

विषय :श्रेणी अन्तर्गत
.....आवासीय योजना में
.....मंजिल पर फ्लैट सं.....का आवंटन ।

ज्ञापन

उपर्युक्त फ्लैट श्री/श्रीमती/कुमारी.....को आवंटित किया गया है । इस पत्र के
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....दिनों के अन्दर उपर्युक्त आवंटित फ्लैट का कब्जा सौंप दिया जाए ।
जारी होने की तिथि से.....फ्लैट का कब्जा लेने के लिए कार्य-स्थल पर उपस्थित होने के लिए आवंटित से अनुरोध किया जा रहा है । मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी
के राजपत्रित अधिकारी/अधिकृत नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किए गए आवंटित के हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं । खाली स्थान
भरने के बाद इस कब्जा पत्र की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता द्वारा हमारे कार्यालय के रिकार्ड के लिए भिजवा दी जाए ।

सहायक निदेशक (आवास)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिशासी अभियन्ता

आवास खण्ड/विकास खण्ड/निर्माण खण्ड

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री/श्री.....के हस्ताक्षर एतद्वारा
अनुप्रमाणित किए जाते हैं ।

आवंटित के हस्ताक्षर
मुहर सहित मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी
राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक
द्वारा अनुप्रमाणित

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती/कुमारी.....को वे कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30
दिन के अन्दर कनिष्ठ अभियन्ता, स्थल अधिकारी को मिले जो उन्हें फ्लैट का कब्जा सौंपेंगे । यदि उपर्युक्त अवधि के अन्दर आप
कार्यस्थल पर नहीं मिले तो आपको और कोई सूचना दिए बिना अथवा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा ।

सहायक निदेशक (आवास)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

विशेष ध्यान दीजिए :- यदि हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित कराए जाएं तो 5/- रु. की नोटरियल स्टाम्प लगाई जाए ।

यह पुष्टि की जाती है कि.....श्रेणी के अन्तर्गत.....
आवासीय योजना में.....मंजिल पर बने फ्लैट सं.....का
कब्जा दिनांक.....को दिया गया था ।

सहायक निदेशक (आवास)

अधिशासी अभियन्ता
आवास खण्ड/विकास खण्ड

यदि उपर्युक्त तिथि को कब्जा न सौंपा जा सका हो तो टिप्पणी वाले खाने में अधिशासी अभियन्ता या उनके प्रतिनिधि को
समुचित कारण देने चाहिए ।

आवास/दि.वि.प्रा./(H)/DDA

श्री/श्रीमती/Sh./Smt.....